न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 110 सन 2019
अनवान :–

1. अनुपेन्द्र 2. ओमेन्द्र कुमार पि0 गोरीशंकर जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर।

बनाम

1. गोरीशंकर पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर।
2. सुशीला 3 सुमन पुत्रीयान गोरीशंकर जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर। प्रतिवादी
4. नेहा पुत्री गोरीशंकर जरिये नाबालिग जरिय पिता गोरीशंकर जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री माहूराम सहारण अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 27/24 के प0न0 332/364(1) के किला न0 11 ,12/2.00 ,13/0.10 ,19 ता 22/4.00बीघा प0न0 332/365(9) के किला न0 1 ता 4/4.00 बीघा 7 ता 13/7.00 बीघा , 18 ता 23/6.00 बीघा प0न0 332/366(10) के किला न0 1 ता 3/3.00 , 8/1.00 बीघा प0न0 336/368(28) के किला न0 25/1.00 ,प0न0 337/368(29) के किला न0 12 ,19 ,21 ,22 /4.00 बीघा कुल 27.10 बीघा भूमि एवं रोही मौजा चक 3 बासनी के खाता संख्या 354/319 के प0न0 324/363(432) के किला न0 22 ,23/0.506हैक प0न0 324/364(441) के किला न0 2/.253 ,3/0.253 ,8/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,13/.253 ,18/0.253 ,19/0.253 ,20/0.253 ,21/.253 ,22/0.253 कुल 3.289हैक एवं खाता संख्या 355/387 के प0न0 324/363(432) के किला न0 7 ,8/0.506हैक ,13 ,14/0.506हैक 18 ,19/0.506हैक 22/0.253हैक कुल 1.771हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा दुनीराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा दुनीराम एवं दादी के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है पर औद हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी सख्या 1 जो वादी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि मे उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 25/27 की 8.2220हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं चक 3 बारानी के खाता संख्या 140/112 की 3.2889हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की 2/3 हिस्सा भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है एव इसी चक के खाता संख्या 139/111 की 1.1810हैक भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official